

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख
अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :- श्री लाखाराम, आर.ए.एस.
आवेदन संख्या :- 33/2023

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---------------------------|------|-----------------------------|
| 1. गंगाराम पुत्र कानाराम | | 1. किसनाराम पुत्र भगवानाराम |
| 2. बाबूलाल पुत्र गंगाराम | | 2. पूनमाराम पुत्र भगवानाराम |
| 3. हरिकिशन पुत्र गंगाराम | | 3. बाबूलाल पुत्र श्रीराम |
| जाति विश्‍नोई निवासी गडरा | | 4. केशरीमल पुत्र करनाराम |
| तहसील धोरीमन्ना | | 5. पूनमाराम पुत्र करनाराम |
| | | 6. सुखराम पुत्र करनाराम |
| | | 7. कुनणी देवी पत्नी हरदास |
| | | 8. जगदीश पुत्र हरदास |
| | | 9. जयकिशन पुत्र हरजीराम |
| | | 10. पूनमाराम पुत्र हरदास |
| | | 11. पाबुराम पुत्र हरजीराम |
| | | 12. विरधाराम पुत्र हरजीराम |
| | | 13. सुजाणा पुत्र बन्शीराम |
| | | 14. भाखराराम पुत्र कानाराम |
| | | 15. मंगलाराम पुत्र कानाराम |
| | | 16. मंगलाराम पुत्र अणदाराम |
| | | 17. विरधाराम पुत्र अणदाराम |
| | | 18. सुरताराम पुत्र कानाराम |
| | | 19. करनाराम पुत्र अणदाराम |
| | | 20. नीम्बाराम पुत्र अणदाराम |
| | | 21. बादराराम पुत्र कानाराम |
| | | जाति विश्‍नोई निवासी गडरा |
| | | (नेडीनाडी) तहसील धोरीमन्ना |
| | | 22. तहसीलदार, धोरीमन्ना |

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :- 16/02/23

अधिवक्तागण :- 1. श्री जगदीश कुमार, अधिवक्ता प्रार्थीगण

- :: निर्णय :: -

दिनांक :- 20/12/23



प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश कुमार द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 8.9112 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा नम्बर 3/2 रकबा 1.0846 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा नम्बर 3/5 रकबा 4.0549 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा गडरा मण्डल नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी

20/12/23
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

व नक्शा साथ पेश है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढ़ा-सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें या सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी खेतों के सेढ़ों के लेकर पास में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। काश्त के समय विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा काश्त के समय लड़ाई फंसाद होने की आशंका रहती है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का सही समय पर उपयोग नही कर पा रहे है, इसलिए प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों के विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 15.02.2023 को करवाया गया था परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नही मान रहे है, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार है। विवादित खेत मौजा गडरा पटवार मण्डल नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/- के साथ पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 22 को जरिये रजिस्ट्रड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाए गये नोटिसों की डाक रसीदें प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की, विप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 11.10.2023 को विप्रार्थीगण के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली-भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 8.9112 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा नम्बर 3/2 रकबा 1.0846 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा नम्बर 3/5 रकबा 4.0549 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम की खातेदार दर्ज राजस्व रेकॉर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 15.02.2023 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 4, 3/2 व 3/5 के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किय गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 8.9112 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा नम्बर 3/2 रकबा 1.0846 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम



20/12/23
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

एवं खसरा नम्बर 3/5 रकबा 4.0549 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

- :: आदेश :: -

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 भली-भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम गडरा पटवार मण्डल नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना में जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 7 के खसरा संख्या 4 रकबा 8.9112 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम एवं खाता संख्या 9 खसरा संख्या 3/2 रकबा 1.0846 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा संख्या 3/5 रकबा 4.0549 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे-खर्चे से उसके खसरा नम्बर 4 रकबा 8.9112 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा नम्बर 3/2 रकबा 1.0846 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा नम्बर 3/5 रकबा 4.0549 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के पड़ोसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से क्रम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 20/12/23 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना